राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29(39)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/सर्क्यूलर/09/3258 दिनांक 5/9/2011

समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान
समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान
समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान

परिपत्र संख्या 23

आगामी 2 अक्टूबर, 2011 से राजकीय चिकित्सालयों में आने वाले सभी मरीजों को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करवाई जायेगी। साथ ही थैलेसीमिया एवं हीमोफीलिया के मरीजों को भी निःशुल्क दवाईयाँ उपलब्ध करवाई जायेगी।

इस योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्य के सभी चिकित्सा संस्थानों के लिये जैनरिक औषधियाँ, सर्जिकल एवं डायग्नोस्टिक सामग्री तथा उपकरणों की खरीद हेतु **राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन** (RMSC) का गठन किया गया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं –

1. बीपीएल काउन्टर हेतु दवाओं की आपूर्ति भी राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन द्वारा की जायेगी। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन (RMSC) द्वारा दवाईयाँ क्रय कर District Drug Warehouse (DDW) में पहुँचायी जायेगी, वहाँ से चिकित्सा संस्थान प्रभारी दवाईयाँ प्राप्त कर बीपीएल काउन्टर को निःशुल्क वितरण हेतु उपलब्ध करवायेगा।
2. वर्तमान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत सरकारी आपूर्ति की निःशुल्क औषधियाँ उपलब्ध नहीं होने पर मेडिकेयर रिलीफ समिति के माध्यम से अधिकतम डिस्काउन्ट दर देने वाली दुकान से स्थानीय क्रय करके रोगी को उपलब्ध करवाने का प्रावधान है। प्रायः यह पाया गया है कि ब्रान्डेड दवाओं पर डिस्काउन्ट सामान्यतया MRP का 5-10% ही दिया जाता है। जबकि समान गुणवत्ता वाली, सामान्यतः उपयोग में आने वाली जैनरिक दवाऐं MRP से लगभग 80-90% कम कीमत पर भी उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार मंहगी दवाईयाँ खरीदने से राजकोष की राशि का अपव्यय होता है तथा राज्य को अत्यधिक वित्तीय भार वहन करना पड़ता है। अतः राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कार्पोरेशन द्वारा यदि किन्हीं दवाओं की आपूर्ति

किसी अपरिहार्य कारणवश नहीं की जा रही हो तो उन दवाओं को उस चिकित्सा संस्थान की मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए जैनेरिक नाम से प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर क्रय किया जाए। उक्त दवाऐं लाइफ लाईन ड्रग स्टोर पर भी उपलब्ध कराई जानी है। अतः आवश्यकता होने पर इन दवाओं को राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी द्वारा तय की गई दरों पर लाइफ लाईन ड्रग स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है।

3. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अन्य चिकित्सालयों जिनके पास राज्य सरकार द्वारा निर्धारित रेट कॉन्ट्रेक्ट के अतिरिक्त औषधि क्रय हेतु दर संविदा निर्धारित नहीं हैं, वे बीपीएल मरीजों हेतु आवश्यकतानुसार संबंधित जिला चिकित्सालयों की लाइफ लाईन ड्रग स्टोर से/की दरों पर औषधियाँ क्रय कर सकते हैं।
4. राज्य सरकार के विद्यमान निर्देशों के अनुसार चिकित्सकों द्वारा प्रिस्क्रेप्शन यथासंभव फार्माकोपियल/साल्ट/जैनेरिक नाम से लिखा जाना है तथा रोग का उपचार EDL से, मानक उपचार दिशानिर्देशों (Standard Treatment Guidelines) के अनुसार किया जाना है। अतः बीपीएल काउन्टर पर उपलब्ध दवाऐं जैनेरिक नाम से मिलेगी व अनावश्यक औषधियों का उपयोग नहीं किया जायेगा। ऐसा नहीं होने पर ये तथ्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व इस कार्यालय के ध्यान में लिखित रूप से लाया जाये।
5. बीपीएल काउन्टर के स्टाफ द्वारा BPL व APL मरीजों को दी गयी दवाई का रिकॉर्ड अलग-अलग संधारित किया जाएगा।
6. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत आने वाली श्रेणीयों के मरीजो को RMSC से जो दवाऐं दी गयी है उसके संबंध में प्रत्येक माह के अंत में उन दवाओं की कीमत का भुगतान मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत उपलबध करवाये गये बजट में से RMSC को किया जावेगा। यह व्यवस्था वर्ष 2011-12 के लिये लागू होगी।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रमीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), शासन सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।

8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलक्टर, राजस्थान।
10. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
11. निजी सचिव, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
12. निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
13. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
14. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, राजस्थान।
15. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
16. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
17. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
18. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन जयपुर।
19. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अपने जिले के समस्त सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को परिपत्र की प्रति उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।
20. प्रभारी सर्वर रुम कृपया संबंधित को ई–मेल करवाये एवं विभाग की संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।
21. सलाहकार (आईटी) एमएमजेआरके को भेजकर लेख है कि कृपया परिपत्र को एमएमजेआरके के सॉफ्टवेयर एवं संबंधित वैबसाईट पर अपलोड करवाये।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग